उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्डेला (सीकर)

FORM No. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्डेला (सीकर)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट खण्डेला

नाम ......प्रकाश चन्द यादव...... बनाम ......आर. एस. डेयरी फार्मस आदि......

नम्बर मुकदमा ......दावा तकाजा...... मुकदमा नं. ......192...... सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
..-10-19	वादी की ओर से वकील श्री शारदा प्रसाद शर्मा ने वाद पत्र प्रस्तुत किया। रिपोर्ट सामिल की गयी। वाद पत्र दर्ज रजि० किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जावे। मिसल आइन्दा दिनांक 11.10.19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
11/10/19	वकील वादी उप० प्रतिवादी सं० 6 की तामील सम्यक रूप से होकर लौटी है। बावजूद सम्यक तामील उक्त प्रतिवादी की ओर से कोई हाजिर अदालत नहीं आया है। अत: प्रतिवादी सं० 6 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रतिवादी सं० 1 ता 5 की ओर से जवाब, वादी के दावे के प्रति सहमति प्रकट करते हुए पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 08/11/2019 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
08/11/19	पत्रावली पेश हुई। वकलाय उप०। प्रकरण में बहस वकलाय उभय पक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकलाय उभय पक्ष	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर अहव हुक्म में
	ने निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 ता 5 ने विवादित आराजी के तकासमा बाबत हलका पटवारी एवं गिरदावर के समक्ष इकरारनामा पेश कर दिया था किन्तु तहसीलदार खण्डेला द्वारा उक्त तकासमा तस्दीक नहीं किया गया। विवादित पक्षकारान वादी द्वारा वांछित अनुतोष अनुसार विवादित भूमि का तकासमा करवाने हेतु सहमत है। अत: प्रकरण में वादी द्वारा वांछित अनुतोषानुसार तकासमा की डिक्री जारी करवाई जावे। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया एवं बहस प्रलाप उभय पक्ष पर मनन किया गया। चूंकि प्रतिवादी सं० 1 ता 5 ने जरिए अधिवक्ता उपस्थित आकर वादी के दावे को स्वीकार किया है। अत: दावा वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि :- **निर्णय** तन ग्राम लालसर प० ह० केरपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज०) अवस्थित कृषि भूमि ख० नं० 42/1546 रकबा 3.84 हे० में से 7/128 हिस्सा का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादी सं० 1 ता 5 के बदस्तूर रहेगी। उक्तानुसार पृथक-पृथक लगान कायम करते हुए, मिन बट्टा नम्बर डालते हुए राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हो। पत्रावली कैमल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो व पर्चा डिक्री मुरत्तिब हो। निर्णय आज दिनांक 08/11/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर)	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Singh Godara
Date: 2019.12.18 11:18:25 IST
Reason: SelfAttested
Location: